UPME010000102026

<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।</u>
उपस्थित : श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II,
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
(ID No. : UP 6030)
दाण्डिक निगरानी संख्या- 03 सन 2026

ब्रजपाल सिंह (एडवोकेट), निवासी-ए-35 ग्रीन पार्क कॉलोनी रजपुरा थाना गंगा नगर, जिला मेरठ।

..... पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. अशोक कुमार तोमर पुत्र जगबीर सिंह
   निवासी-ए-34 ग्रीन पार्क कॉलोनी रजपुरा थाना गंगा नगर, जिला मेरठ।
3. दो अज्ञात मिस्त्री।

..... प्रत्युत्तरकर्तागण।

पुनरीक्षकर्ता के अधिवक्ताः श्री ब्रजपाल सिंह।
विपक्षी संख्या-1 के अधिवक्ताः श्री के.के. चौबे,
(जि.शा. अधि.फौ.)
विपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ताः श्री कर्णवीर सिह मलिक।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या- 6743/2025 ब्रजपाल सिंह बनाम अशोक कुमार व अन्य में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 07, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.11.2025, जिसके द्वारा उन्होंने पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया है, से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि-</u>

2. प्रार्थनापत्र के प्रासंगिक तथ्य संक्षेप में यह है कि प्रार्थी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रार्थनापत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांकित 25.11.2025 द्वारा प्रार्थी/परिवादी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्व यह पुनरीक्षण योजित किया गया है।

<u>पुनरीक्षण का आधार-</u>

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनरीक्षण में यह आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आवश्यक कानूनी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 2 अशोक कुमार तोमर के निवास स्थान ए-34-ग्रीन पार्क

कॉलोनी रजपुरा थाना गंगा नगर जिला मेरठ के मकान व दुकान के बाहर सटा हुआ सरकारी जगह पर एक सरकारी बोरबिल हैण्डपम्प लगा था, जो विकास खण्ड रजपुरा ब्लॉक/उ०प्र० सरकार जल निगम द्वारा लगाया गया था, जिसे पूरी कॉलोनी के लोग सार्वजनिक रूप से जल संसाधन के रूप में उपभोग कर रहे थे। पिछले करीब दिसम्बर 2024 में रात के लगभग 8 बजे विपक्षी संख्या 2 अशोक कुमार तोमर एवं दो अन्य व्यक्ति/हैण्डपम्प मिस्त्री द्वारा बोरबिल हैण्डपम्प की समस्त मशीन व उसके पाईपों को उखाड़कर/निकालकर गायब कर दिया है और उपरोक्त सरकारी बोरबिल हैण्डपम्प के बोर में अपना निजी समरसेबिल पाईप लगा दिया है, जिसे केवल विपक्षी संख्या 2 अशोक कुमार तोमर व उसका परिवार निजी उपभोग में ले रहा है और बोरबिल के ऊपर सीमेन्ट का ढक्कन बनाकर ढक दिया है, जिस कारण प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता एवं मौहल्ले के समस्त परिवार परेशान है।

अतः पुनरीक्षण स्वीकार करके अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 25.11.2025 को निरस्त करते हुये प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्र संख्या-6743/2025 धारा-175 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत समुचित आदेश/निर्देश दिये जाने की याचना की गयी है।

4. **<u>दस्तावेजी साक्ष्य-पुनरीक्षणकर्ता:</u>**

विविध वाद संख्या 6743/2025 ब्रजपाल सिंह बनाम अशोक कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 25.11.2025 की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या 5 ख/2

आपत्ति- प्रत्युत्तरकर्तागणः

5. प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुये कथन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश विधिक प्राविधानों के अनुकूल है। उसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उपरोक्त कथन के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. मैंने पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा आलोच्य आदेश एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

<u>निष्कर्ष-</u>

7. **मालती बनाम उ०प्र० राज्य 2000 (क्रि०लॉ०ज०) 4170 (इला०)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आपराधिक न्याया-शास्त्र के अधीन स्थापित न्याय किया गया है या नहीं।

8. **अमित कुमार बनाम रमेश चन्द्र (2012) 9 एस०सी०सी० 460** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय के निष्कर्षों की वैधानिकता एवं उचितता तक सीमित रहना चाहिए। पुनरीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय के तथ्य के निष्कर्षों को निरस्त किये जाने की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। पुनरीक्षण न्यायालय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती या अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथ्य के नवीन निष्कर्षों एवं साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकता।

9. प्रस्तुत मामले में अवर न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में यह आधार लिया गया है कि-

> "प्रार्थनापत्र के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी को समस्त तथ्यों की जानकारी है, वह अपना साक्ष्य स्वयं प्रस्तुत कर सकता है, ऐसा कोई तथ्य अंतर्वलित नहीं है, जो पुलिस विवेचना कराये जाने पर ही प्रकाश में आ सके। अतः **क्रि०मि०ए०नं०–9297/2007 सुखवासी बनाम उ०प्र०राज्य** में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों को एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के विवचार में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ''

10. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनरीक्षण में निम्नलिखित मुख्य आधार लिया गया है कि-

- विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आवश्यक कानूनी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।
- मुख्य आरोप यह है कि प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 2 अशोक कुमार तोमर ने अन्य दो के साथ मिलकर अपने निवास स्थान तथा दुकान के पास स्थित सरकारी बोरबिल हैण्डपम्प को पिछले करीब दिसम्बर 2024 में रात के लगभग 8 बजे समस्त मशीन व उसके पाईपों को उखाड़कर/निकालकर गायब कर दिया है और उपरोक्त सरकारी बोरबिल हैण्डपम्प के बोर में अपना निजी समरसेबिल पाईप लगा दिया है, जिसे केवल विपक्षी संख्या 2 अशोक कुमार तोमर व उसका परिवार निजी उपभोग में ले रहा है और बोरबिल के ऊपर सीमेन्ट का ढक्कन बनाकर ढक दिया है, जिस कारण प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता एवं मौहल्ले के समस्त परिवार परेशान है।

11. प्रस्तुत पुनरीक्षण में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उक्त तथाकथित सरकारी हैंडपंप के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भी सरकार के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यद्यपि पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी सूचना देने हेतु सक्षम है, लेकिन विद्वान अवर न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में प्रार्थी से जांच साक्ष्य की अपेक्षा की है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों में विद्वान अवर न्यायालय का आदेश मामले के तथ्यों के आलोक में पूर्णतया उचित एवं वैधानिक है।

12. अतः विद्वान अवर न्यायालय के आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई न्यायोचित आवश्यकता नहीं है।

13. तदनुसार पुनरीक्षण बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.11.2025 यथावत रखे जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.11.2025 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली नियामानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक –15.06.2026 **(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)**
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
ID No. UP 6030

निर्णय खुले न्यायालय में आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक – 15.06.2026 **(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)**
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
ID No. UP 6030

This is uncertified copy for information/ reference.
For authentic copy please refer to certified copy only.

Pankaj Kumar
(P.A.)